फर्द अहकाम

राजस्व – पत्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला–राजसमन्द

84 ... सन् 2013 ... किस्म मुकदमा वाद

हेमा व अन्य बनाम लच्छा व अन्य

आदेशिका	हस्ताक्षर/सूचन
26/9 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित है। बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि तहसीलदार कुम्भलगढ़ के आदेश क्रमांक-राज/प्रा०पत्र/78/292 दिनांक 31.12.78 में सर्व श्री लच्छा, चम्पा, गल्ला, किशना, हेमा, बरदा, भंवरीया एवं सवा दसाणा निवासी जरगावली ने एक प्रार्थना पत्र मय 3/ रुपये के स्टाम्प पर इकरार नामा भूमि विभाजन हेतु पेश किया है जिस पर विभाजन पत्र के अनुसार तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का रीछेड़ को अमल दरामद करने हेतु लिखा है पटवारी हल्का द्वारा अमल दरामद करने से विभाजन अनुसार भूमिया राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। जिससे पर सिद्ध है कि पक्षकारो के मध्य वादग्रस्त भूमि का आपसी सहमति से विभाजन हुआ है व उसी अनुसार मौके पर काबिज है। अर्थात वादग्रस्त भूमि का विभाजन आपसी सहमति से तहसीलदार कुम्भलगढ़ के न्यायालय से हुआ है। प्रार्थना पत्र के Pith and Substance के अनुसार पश्चात् वर्ती वाद न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत हुआ है जो चलने योग्य नही है एवं पेश करने का वादीगण को अधिकार नही है। पूर्व न्याय (Res Judicata) के सिद्धान्त के अनुसार पूर्व मे विनिश्चित वाद के पश्चात्वर्ती वाद	

सहायक कलक्टर ... कुम्भलगढ़